ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006.12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्री दौलत राम	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्रीमति मीरा देवी	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :–

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्री राम लाल	01.04.2016 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्तशेष में अन्तर	4.61
2	5.2	रोकड़ बहियों मे सम्पूर्ण व्यय का लेखांकन न करना	4.61
3	5.3	हरियाली परियोजना से संभावित गवन	2.00
4	5.4	तत्कालीन पंचायत प्रधान श्री दौलत राम को संदिग्ध भुगतान	0.60
5	5.6	नियम विरूद्ध ₹1000/–से अधिक का नकद भुगतान करने हेतु बैंकों से आहरण	6.42
6	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	––

7	6.4	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	0.93
8	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	9.84
9	11	संदिग्ध व्यय	3.00
10	12	निविदाओं के बिना किया गया क्रय	7.55
11	13	60 बोरी सीमेन्ट का दुर्विनियोजन	0.11
12	14.1	सीमेन्ट खरीद में अधिक भुगतान	0.30
13	18	मनरेगा अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	——
14	19	निर्माण कार्यों का अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	——
15	20	निर्माण कार्यों के निष्पादन में पाई गई विसंगतियां	——

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28/07/2016 से 05/08/2016 तक ग्राम पंचायत कचौली के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 11/2013, 10/2014, 11/2015 व 03/2014, 10/2014, 11/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/—बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित मल्टीसिटी चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015—16/—164 दिनांक 03/08/2016 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :—

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः—

4.1 स्व स्त्रोत :– ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013–14	112	0.00	112	0.00	112
2014–15	112	0.00	112	0.00	112
2015–16	112	0.00	112	0.00	112

4.2 अनुदानः– ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 तथा 2** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013–14	1243739	2556623	3800362	2961206	839156
2014–15	839156	4050186	4889342	3774611	1114731
2015–16	1114731	3574884	4689615	3705234	984381

5 बैंक खातों के सन्दर्भ में पाई गई त्रुटियांः–

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त ष शेष में ₹4,60,614/–का अन्तर :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹4,60,614/–का अन्तर बैंक खातों में कम शेष के रूप में है।

क्र	**खाता**			**अन्त शेष**
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः–			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' – पैरा 4(1)			112.00
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' – पैरा 4(2)			984381.00
कुल योग (क):				**984493.00**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–				
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	सामान्य निधि – खाता 'क'	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक लखनपुर	3853	112.00
2	अनुदान खाता – खाता 'ख'	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक लखनपुर	3854	326031.00
3	12वां वित्तायोग	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक लखनपुर	3987	400.00
4	मनरेगा	यूको बैंक छड़ोल	3955	0.00
5	आई डबल्यू एम पी– अनुदान	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक लखनपुर	4920	911.00
6	आई डबल्यू एम पी– लाभार्थी अंशदान	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक लखनपुर	4919	0.00
7	मध्य हिमालय जलागम परियोजना – अनुदान	यूको बैंक छड़ोल	2912	23673.00

8	मध्य हिमालय जलागम परियोजना–लाभार्थी अंशदान	यूको बैंक छड़ोल	2913	1501.00
9	इन्दिरा/अटल आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	3988	6910.00
10	हरियाली परियोजना – अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	0075	1151.00
11	हरियाली परियोजना– लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	0081	172190.00
12	राजीव आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6056	0.00
13	मुख्यमन्त्री ग्राम आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6057	0.00
14	मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6058	0.00
15	निर्मल भारत अभियान	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6059	0.00
16	गुरू रविदास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6060	0.00
17	राहत कोश	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6061	0.00
18	विधायक क्षेत्र विकास निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6062	0.00
19	एस डी पी	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6063	0.00
20	सांसद क्षेत्र विकास निधि (लोक सभा)	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6064	0.00
21	13वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6065	0.00
22	सांसद क्षेत्र विकास निधि (राज्य सभा)	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	6066	0.00
कुल योग (ख):				**523879.00**
रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख):				**460614.00**

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 रोकड़ बही में वास्तविक व सम्पूर्ण व्यय का दर्ज़ न करनाः–

गत पैरा 5.1 में जो अन्तर है वह यह भी परिलक्षित करता है कि पंचायत के व्यय हेतु बैंक खातों से आहरित समस्त राशि को रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं किया गया है जिस कारण से दिनांक 31–03–2016 को बैंक खातों का शेष रोकड़ बहियों से ₹4,60,614/–कम पाया गया है। इसके कारणों की विभाग अपने स्तर पर विस्तृत जांच करके रोकड़ बहियों का सम्पूर्ण अद्ययतन (Updation) सुनिश्चित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.3 हरियाली परियोजना से ₹2.0 लाख का संभावित गवनः–

ग्राम पंचायत में चलाई जा रही हरियाली परियोजना के संचालन के लिए हि• प्र• राज्य सहकारी बैंक की लखनपुर शाखा में दो बैंक खाते खोले गए हैं। प्रथम खाता संख्या

11410200075 में अनुदान की राशि जमा करके व्यय की जाती है तथा दूसरे खाता संख्या 11410200081 में परियोजना के लाभार्थियों से प्राप्त अंशदान की राशि जमा की जाती है। इस परियोजना के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि दोनों बैंक खातों से निम्न विवरणानुसार संदिग्ध आहरण किया गया हैः—

क्र	दिनांक	खाता	खाता	चैक	आहरणकर्ता	आहरित राशि (₹)
1	26.8.13	अंशदान	0081	394601	दौलत राम, तत्कालीन प्रधान	1,40,000
2	14.10.13	अनुदान	0075	393828	—यथोपरि—	1,40,000
3	31.12.13	अंशदान	0081	394602	—यथोपरि—	20,000
					कुल योग	**3,00,000**

उपरोक्त विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैः—

1. क्रमांक 2 पर दिनांक 14.10.2013 को खाता 00075 (अनुदान) से आहरित राशि के सन्दर्भ में रोकड़ बही में प्रविष्टि दर्ज है कि कि यह आहरण अगस्त माह के व्यय (क्रमांक1), जिसका भुगतान गल्ती से खाता संख्या 00081 (अंशदान) से कर दिया गया था, के समायोजन हेतु सम्बन्धित खाते में पूर्ती हेतु किया गया है। परन्तु वास्तव में इस ₹1,40,000/— की राशि में से कुल ₹1,00,000/— ही खाता संख्या 00081 में दिनांक 14.10.2013 को जमा करवाए गए हैं।

2. रोकड़ बही तथा वाउचर फाइल की संपरीक्षा में पाया गया कि इस परियोजना में माह अगस्त 2013 में मात्र ₹20540/—का ही व्यय किया गया है तथा उसी के सन्दर्भ में रोकड़ बही प्रविष्टियां तथा बिल/वाउचर उपलब्ध हैं।

3. परियोजना में अन्तिम व्यय माह नवम्बर 2013 में किया गया है तथा उपरोक्त तालिका के क्रमांक 3 पर वर्णित ₹20000/—के आहरण के सन्दर्भ में भी किसी प्रकार की रोकड़ बही प्रविष्टि अथवा बिल/वाउचर उपलब्ध नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवरण व टिप्पणियों से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि कुल ₹3,00,000/—की आहरित राशियों में से ₹1,00,000/—वापिस जमा करने के पश्चात शेष ₹2,00,000/—की राशि संभावित गबन प्रतीत होती है। अतः सुझाव दिया जाता है कि जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर अथवा खण्ड विकास अधिकारी, सदर, बिलासपुर द्वारा इस प्रकरण की अपने स्तर पर, प्रतिपादित नियमों के अधीन, गहन विभागीय जांच करवाई जाए तथा दोषी व्यक्तियों से दुर्विनियोजित राशि की वसूली नियमानुसार दण्डात्मक ब्याज सहित करते हुए की गई विभागीय कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.4 तत्कालीन पंचायत प्रधान श्री दौलत राम को ₹60,000/–का संदिग्ध भुगतानः–

पंचायत निधि की रोकड़ बही (सामान्य) के पृष्ठ 78 पर दिनांक 9.11.2015 को चैक संख्या 627642 से ₹60000/–का भुगतान रा॰ व॰ मा॰ पा॰ बड्डू दधोग में चल रहे निर्माण कार्य के सन्दर्भ में तत्कालीन पंचायत प्रधान श्री दौलत राम के पक्ष में दर्शाया गया है। यह भुगतान निम्न विसंगतियों के आधार पर संदिग्ध प्रतीत होता हैः–

1. भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया प्रतीत होता है परन्तु पंचायत में हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 की अनुपालना न तो प्रारूप 9 के अनुसार अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर लगाया गया है और न ही इस भुगतान से सम्बन्धित अन्य कोई अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाया गया।

2. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 अध्याय 11 में प्रतिपादित पंचायत के निर्माण कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित नियमों में इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष को भुगतान/अग्रिम का कोई प्रवधान नहीं है। अतः इस नियमविरूद्ध किए गए ₹60,000/–के अनुचित भुगतान की तुरन्त वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना व स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

3. इस भुगतान के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की कोई रसीद इत्यादि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई।

4. यदि यह भुगतान वास्तव में ही पाठशाला में चल रहे निर्माण कार्य से सम्बन्धित था तो भी माह अगस्त 2016 में अंकेक्षण किए जाने तक 9 माह बीत जाने के बावजूद किसी प्रकार के समायोजन व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

उपरोक्त विसंगतियों के कारण यह भुगतान संदिग्ध गवन का प्रकरण प्रतीत होता है जिसकी पंचायती राज विभाग द्वारा उच्चाधिकारी स्तर पर जांच की जानी अपेक्षित है। अनुपालना से शीघ्रातिशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.5 पंचायत निधि के खाता 'क' का संचालन न करनाः–

ग्राम पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में हि॰ प्र॰ रा॰ स॰ बैं॰ की लखनपुर शाखा में खाता संख्या 11410103853 पंचायत निधि के लिए खाता 'क' खोल तो लिया गया है परन्तु इसमें किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जाता है। यह

स्थिति परिशिष्ट '1' में दी गई पंचायत के स्वयं संसाधनों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर स्वयं स्पष्ट हो जाती है। पंचायत द्वारा इस खाते का संचालन करने के स्थान पर स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय को हि• प्र• रा• स• बैं• की लखनपुर शाखा में खाता संख्या 11410103854 जो कि पंचायत निधि का खाता 'ख' है में जमा करवाया जाता है। यह नियमविरूद्ध कार्यविधि क्यों तथा किसके निर्देशों से अपनाई गई है के बारे में अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.6 नियम विरूद्ध ₹1000/–से अधिक का नकद भुगतान करने हेतु बैंकों से आहरणः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(1 व 2) के अनुसार ₹1000/–तक का ही भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है तथा इससे अधिक का भुगतान अनिवार्यतः चैक द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान लगभग समस्त भुगतान नकद रूप में किए गए प्रतीत होते हैं क्योंकि अधिकतर बैंक आहरण तत्कालीन पंचायत प्रधान श्री दौलत राम द्वारा स्वयं अपने नाम जारी बैंक चैकों द्वारा किए गए हैं। उदाहरण के लिए हरियाली परियोजना के खाता संख्या 11410200075 से चैक संख्या 6429373, 6429374 व 393826 से 393830 तथा खाता संख्या 11410200081 से चैक संख्या 394601 व 394602 द्वारा दिनांक 3–5–2013 से 31–12–2013 तक आठ माह में ₹6,42,000/– का शतप्रतिशत आहरण इसी प्रकार से तत्कालीन प्रधान द्वारा स्वयं किया गया है। इस प्रकार के लेनदेन इन भुगतान की गई राशियों को संदिग्ध बनाते हैं तथा इस प्रकरण की उच्च विभागीय स्तर पर गहन जांच की आवश्यकता है। इस बारे में अंकेक्षण के सुझावानुसार की गई सुधारात्मक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड बहियों के अवलोकन में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखों की नमूना जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैं:–

6.1 **(क) नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–** हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के

समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मनरेगा, हरियाली परियोजना, आई डबल्यू एम पी, इन्दिरा/अटल आवास योजना तथा मध्य हिमालय जलागम परियोजना के लिए छः अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन छः रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 (ख) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारेः–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियां पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 (ग) लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत कचौली में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग छः रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध बाईस बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) में पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत कचौली में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित बाईस बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन बीस अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 शून्य शेष बैंक खातों का संचालनः–

बैंक खातों के अवलोकन पर पाया गया कि कुल बाईस बैंक खातों में से ग्यारह (क्रमांक 12 से 22) खाते ऐसे हैं जिनमें खोले जाने के उपरान्त अंकेक्षण किए जाने तक एक भी लेनदेन नहीं किया गया है। जिन निधियों के नाम पर इन खातों को खोला गया है उनमें से अधिकतर का संचालन खाता 'ख' से किया जा रहा है। अतः इन खातों को खोले जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु पंचायत के बैंक खातों का संचालन हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.4 खाता 'ख' के ₹92,882/– के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कचौली के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹92,882/–खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता सं0	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
3854	7298.00	5632.00	6133.00	7876.00	9188.00	7377.00	43504.00
3987	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	50.00
3955	2039.00	2038.00	469.00	307.00	4.00	0.00	4857.00

4920	0.00	0.00	742.00	89.00	62.00	18.00	911.00
4919	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2912	1183.00	1387.00	429.00	1597.00	947.00	1713.00	7256.00
2913	66.00	367.00	415.00	591.00	435.00	29.00	1903.00
3988	1848.00	2597.00	1538.00	926.00	133.00	251.00	7293.00
0075	5316.00	981.00	48.00	49.00	50.00	52.00	6496.00
0081	2846.00	3081.00	3554.00	3615.00	3716.00	3800.00	20612.00
कुल योग	**20604.00**	**16091.00**	**13336.00**	**15058.00**	**14544.00**	**13249.00**	**92882.00**

6.5 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत कचौली द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–

7.1 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत कचौली द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जो कि हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	हरियाली योजना रो॰ ब॰ पृ॰	सीमा से अधिक रखी गई राशि	अवधि	
			से	तक
1	120	26414.00	24.6.13	9.7.13
2	121	14554.00	9.7.13	12.8.13
3	122	19014.00	12.8.13	6.3.14

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान की ₹9.84 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा परिशिष्ट–1 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹9,84,381/–की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण

धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 बिना बिल वाउचरों के किया गया ₹3 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹3,00,334/–के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट '2'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही अपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय उचित तथा वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायती राज विभाग द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7,54,881/–के स्टाक/स्टोर का क्रय करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹7,54,881/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है तथा साथ ही साथ इस कारण बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ भी नहीं उठाया जा सका है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	निधि	दिनांक	रो• ब• पृष्ठ	क्रय की गई सामग्री	राशि
1	सामान्य निधि	13.3.14	026	सरिया	9960.00
2	सामान्य निधि	24.3.14	028	जे सी बी मशीन से खुदाई	192000.00
3	सामान्य निधि	24.3.14	028	–यथोपरि–	44100.00
4	सामान्य निधि	28.3.14	029	ग्रिल, गेट वैल्डिंग	44000.00
5	सामान्य निधि	29.3.14	030	टीन की चादरें तथा स्ट्रक्चर स्टील	55330.00
6	सामान्य निधि	29.3.14	030	जे सी बी मशीन से खुदाई	60200.00
7	सामान्य निधि	29.3.14	030	जे सी बी मशीन से खुदाई	50400.00
8	सामान्य निधि	9.10.14	045	टीन की चादरें तथा स्ट्रक्चर स्टील	47096.00
9	सामान्य निधि	9.11.15	078	जे सी बी मशीन से खुदाई	7000.00
10	मनरेगा	26.11.15	98	सरिया	6762.00
11	मध्य हिमालय जलागम परियोजना	17.10.14	009	200 बोरी सीमेन्ट	67600.00
12	–यथोपरि–	17.10.14	009	शटरिंग	82044.00
13	–यथोपरि–	17.10.14	009	1:6:12 कन्क्रीट में कूहल निर्माण	88389.00
				कुल योगः–	**754881.00**

13 ₹11340/– मूल्य के सीमेंट का लेखांकन न करनाः–

सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 28 पर दिनांक 24/03/2014 को सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, बिलासपुर को 40 बोरी सीमेन्ट के लिए ₹7560/–का भुगतान दर्ज किया गया है। सम्बन्धित वाउचर की जांच में पाया गया कि वास्तव में ₹18900/–मूल्य का 100 बोरी सीमेन्ट खरीदा तथा भुगतान किया गया था परन्तु रोकड़ बही में मात्र 40 बोरी के मूल्य ₹7560/–को ही दर्ज किया गया है। इस प्रकार ₹11340/–के मूल्य के सीमेन्ट का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है, जिसके लिए सम्पूर्ण अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है अथवा इसकी वसूली दोषी/दोषियों से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त इन 100 बोरी सीमेन्ट को किसी भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जिस कारण इसके उपभोग का सत्यापन/जांच भी अंकेक्षण के दौरान नहीं किया जा सका है। इसके सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख के साथ आवश्यक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के स्थान पर बाजार से अधिक मूल्य पर सीमेन्ट खरीद कर ₹29800/– का अधिक भुगतानः–

मध्य हिमालय जलागम परियोजना के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ 009 पर दिनांक 17.10.2014 को मै• हरि सीमेन्ट स्टोर, कोठीपुरा को 200 बोरी सीमेन्ट के लिए ₹338/–प्रति बोरी की दर से कुल ₹67600/–का भुगतान दर्ज किया गया है। इस खरीद में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

14.1 सीमेन्ट खरीद में ₹29800/–का अधिक भुगतानः–

समय समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों हेतु सीमेन्ट हि॰ प्र॰ सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से खरीदा जाना अपेक्षित है। वर्ष 2014 के दौरान पंचायत द्वारा सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से की गई सीमेन्ट खरीद ₹189/–प्रति बोरी की दर से की गई है। परन्तु उपरोक्त खरीद बाजार से ₹338/–की दर से की गई है। इस प्रकार ₹149/–प्रति बोरी की दर से 200 बोरी के लिए कुल ₹29800/–का अधिक भुगतान किया गया है। इस नुक्सान के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसकी भरपाई सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14.2 स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न करनाः–

इसके अतिरिक्त इन 200 बोरी सीमेन्ट को किसी भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जिस कारण इसके उपभोग का सत्यापन/जांच भी अंकेक्षण के दौरान नहीं किया जा सका है। इसके सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख के साथ आवश्यक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2015–16 की पंचायत निधि की वाउचर फाइल, आइ॰ डबल्यू॰ एम॰ पी॰ से अंकेक्षणावधि के तीनों वर्षों के दौरान के समस्त वाउचरों में से किसी भी वाउचर में भुगतान आदेश पारित नहीं किया गया है। यही परिस्थिति अन्य निधियों से किए गए व्यय वाउचरों की भी है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 रसीदों से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

16.1 एकाधिक रसीद बुकों का एक साथ अनुचित प्रयोगः–

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कचौली के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न

विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एक साथ कई रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	उपयोग	उपयोग अवधि
1	098701 – 800	सामान्य	15.7.2013 से अब तक
2	016501 – 600	मनरेगा	10.6.2008 से अब तक
3	098201 – 300	हरियाली	24.6.2013 से अब तक
4	098301 – 400	गृहकर	20.3.2013 से अब तक
5	098401 – 500		
6	098501 – 600		
7	098601 – 700		

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन रसीद बुको में उपलब्ध खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

16.2 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः–

अंकेक्षण के दौरान नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा अधिकतर प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 वेतन/मानदेय रजिस्टरों का निर्माण न करने बारेः–

पंचायत के अधीन रखे गए वैटरनरी फर्मासिस्ट को ₹5000/–प्रतिमास की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है। इस भुगतान के सन्दर्भ में किसी प्रकार का मानदेय रजिस्टर नहीं लगाया गया है जिससे इसकी जांच की जा सके अथवा दोहरे भुगतान की संभावना को टाला जा सके। इसी प्रकार पंचायत पदाधिकारियों तथा पंचायत के अधीन कार्य कर रहे जलरक्षकों एवं सिलाई अध्यापिका का मानदेय रजिस्टर में भी माह 12/2013 के बाद किसी प्रकार का लेखांकन/प्रविष्टि नहीं की गई है अथवा की गई प्रविष्टियों का सत्यापन पंचायत प्रधान द्वारा नहीं किया गया है। इस चूक के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार तथा पूर्ण किया जाए तथा भविष्य में इसमें लेखांकन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 मनरेगा अभिलेख का अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जानाः—

अंकेक्षण के दौरान ग्राम रोजगार सहायक मात्र एक दिन के लिए अपराहन् में पंचायत कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा उससे मनरेगा योजना से सम्बन्धित सूचनाएं व अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। परन्तु तत्पश्चात न तो ग्राम रोजगार सहायक पंचायत कार्यालय में आया और न ही मनरेगा अभिलेख प्रस्तुत किया गया। पंचायत कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण से असहयोग एक अति गम्भीर मामला है जो कि उचित अनुशासनासत्मक कार्यवाही हेतु पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि 04/2013 से 03/2016 तक का समस्त अभिलेख अब अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए।

19 पंचायत के निर्माण कार्यों के अभिलेख का अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जानाः—

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के तकनीकी सहायक से अंकेक्षणावधि के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्यौरा, दिनांक 31—03—2016 को अधूरे निर्माण कार्यों का ब्यौरा तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। परन्तु न तो यह सूचनाएं और न ही सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। पंचायत कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण से असहयोग एक अति गम्भीर मामला है जो कि उचित अनुशासनासत्मक कार्यवाही हेतु पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि 04/2013 से 03/2016 तक का समस्त अभिलेख अब अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए।

20 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2016 तक की वाउचर फाइलों की नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित तालिका में संकलित निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय की जांच की गई थीः—

क्र	कार्य का नाम	किया गया कार्य	रो. ब. पृ.	दिनांक	कुल व्यय (₹)
	पंचायत निधि रोकड़ बहीः				
1	बड्डू से साउटी तक लिंक रोड	संजय कुमार शर्मा, रघुनाथपुरा के बिल संख्या 416 दिनांक 25.2.14 द्वारा ₹750/— प्रतिघंटा की दर से 256 घण्टे तक जे सी बी मशीन से खुदाई	028	24.3.14	192000
2	चिल्ला चड़नमोड़ से साउटी सड़क	संजय कुमार शर्मा, रघुनाथपुरा के बिल संख्या 400 दिनांक 8.6.13 द्वारा ₹700/— प्रतिघंटा की	028	24.3.14	44100

	तक लिंक रोड	दर से 63 घण्टे तक जे सी बी मशीन से खुदाई			
3	चिल्ला जनोटा गांव में शमशानघाट निर्माण	मै• मां नैणा ट्रेडर्ज़, कोठीपुरा से बिल संख्या 2801 दिनांक 14.3.14 से टीन की चदरें व स्ट्रक्चरल स्टील की खरीद	030	29.3.14	55330
4	गांव चिल्ला जनौटा से शमशानघाट तक लिंक रोड	मीरा कंस्ट्रक्शन वर्क, कोठीपुरा के बिल संख्या 012 दिनांक 15.1.14 द्वारा ₹700/– प्रतिघंटा की दर से 86 घण्टे तक जे सी बी मशीन से खुदाई	030	29.3.14	60200
5	जोहड़ी से साई कनैता तक लिंक रोड	मीरा कंस्ट्रक्शन वर्क, कोठीपुरा के बिल संख्या 009 दिनांक 2.2.14 द्वारा ₹700/– प्रतिघंटा की दर से 72 घण्टे तक जे सी बी मशीन से खुदाई	030	29.3.14	50400
6	साई कनैता गांव में शमशानघाट निर्माण	मै• मां नैणा ट्रेडर्ज़, कोठीपुरा से बिल संख्या 3439 दिनांक 20.10.14 से टीन की चदरें व स्ट्रक्चरल स्टील की खरीद	045	9.10.14	47096
7	कचौली बड्डू से साउटी तक लिंक रोड	मीरा कंस्ट्रक्शन वर्क, कोठीपुरा के बिल संख्या 407 दिनांक शून्य द्वारा ₹700/– प्रतिघंटा की दर से 100 घण्टे तक जे सी बी मशीन से खुदाई	078	9.11.15	70000
	मध्य हिमालय जलागम परियोजनाः				
8	चिल्ला गांव में कूहल निर्माण	नंद लाल ऊधो राम गांव चिल्ला को ₹63.60/– प्रति वर्गमीटर की दर से 1290 वर्गमीटर शटरिंग हेतु भुगतान	009	17.10.14	82044
9	चिल्ला गांव में कूहल निर्माण	नंद लाल ऊधो राम गांव चिल्ला को ₹982.10/– प्रति वर्गमीटर की दर से 90 वर्गमीटर 1:6:12 अनुपात की कन्क्रीट हेतु भुगतान	009	17.10.14	88389
		कुल योगः			**689559**

उ

उपरोक्त निर्माण कार्यों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

20.1:– इनमें से किसी भी कार्य की माप पुस्तिका अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। जिस कारण किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा प्रयुक्त सामग्री की जांच नहीं की जा सकी है। अतः अब सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20.2:– आपूर्तीकर्ता/सेवा प्रदाता के बिलों पर किए गए कार्य के सन्दर्भ में कोई विवरण नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए जे सी बी मशीन द्वारा करवाई गई खुदाई के बिलों में मात्र मशीन प्रयोग का समय घण्टों में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का विवरण जैसे मशीन का प्रयोग किस – किस दिन कितने घण्टे के लिए किस दिन से किस दिन तक किया गया है आदि का कोई विवरण नहीं है। इस विवरण तथा इसके सत्यापन (Job Verification) का अभाव इन बिलों को संदिग्ध बनाता है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20.3:– इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20.4:– हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20.5:– निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन किसी भी मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है जिस कारण इसके उपभोग का सत्यापन अंकेक्षण के दौरान नहीं किया जा सका है। अतः अब इस अभिलेख का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20.6:– मनरेगा के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों हेतु जारी मस्ट्रौलों का सत्यापन तकनीकी सहायक द्वारा नहीं किया गया है। यह त्रुटि इन मस्ट्रौल में किए गए भुगतान को अनियमित बनाती है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त इन भुगतानों को सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में त्रुटियांः–

21.1 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण न करनाः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत कचौली में खरीदे गए किसी भी सामान का इन्द्राज़ किसी भी प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों में नहीं किया जाता है। क्रय किए गए सामान का लेखांकन स्टॉक रजिस्टरों में न किए जाने के कारण पंचायत द्वारा किया गया स्मस्त व्यय अनियमित माना जाएगा तथा इस बारे में विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21.2 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र॰	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	——	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 विविध अनियमितताएः—

23.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

23.2:— निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

23.3:— पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए

समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

25 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12) 10/2016–खण्ड–1–366–369 दिनाँकः 24.01.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत कचौली, विकास खण्ड सदर, तहसील व जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, तहसील व जिला बिलासपुर, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट '2'

बिना बिल वाउचरों के किया गया संदिग्ध व्यय (पैरा 11 में सन्दर्भित):–

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि
	सामान्य निधिः			
1	13.3.14	026	पत्थर खरीद	10040.00
2	28.3.14	029	पत्थर खरीद	15000.00
3	9.11.15	080	पत्थर व रेत	23000.00
4	12.1.16	081	रेत, बजरी व शटरिंग	60960.00
5	13.3.16	087	पत्थर व रेत	16500.00
	मनरेगाः			
6	21.3.14	023	रेत	4200.00
7	24.3.14	024	रेत	1227.00
8	31.3.14	025	रेत	6300.00
9	26.11.15	98	पत्थर	5000.00
10	26.11.15	98	पत्थर	5000.00
11	26.11.15	98	पत्थर	5000.00
12	26.11.15	98	बजरी	4800.00
13	26.11.15	98	बजरी	4800.00
14	26.11.15	98	बजरी	2400.00
15	26.11.15	98	रेत	3000.00
16	26.11.15	98	ढुलाई	2400.00
17	26.11.15	98	ढुलाई	2400.00
18	26.11.15	98	रेत	3750.00
	आई डबल्यू एम पीः			
19	9.6.14	1	रेत	15577.00
20	9.6.14	1	पत्थर	4000.00

21	24.6.14	2	पत्थर व बजरी	29729.00
22	11.8.14	3	पत्थर, बजरी व रेत	44857.00
23	11.8.14	3	ढुलाई	5740.00
24	28.10.14	4	ढुलाई	1644.00
25	28.10.14	4	बजरी	22650.00
			कुल योगः	**300334.00**